(120)

उत्तराखण्ड विद्युत नियामक आयोग

'विद्युत नियामक भवन'

निकट आई.एस.बी.टी., पो0ऑ0–माजरा, देहरादून

फोन–0135–2641115 Website www.uerc.gov.in E-mail- secy.uerc@gov.in

संख्या–01 / प्रशा0 / 197 / उविनिआ / 2025–26 / 780 दिनांकः 12 अगस्त, 2025

कार्यालय ज्ञाप

''महिलाओं का कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीड़न (निवारण, प्रतिषेध और प्रतितोष) अधिनियम, 2013'' की धारा–4(1) के अन्तर्गत एतद्द्वारा उत्तराखण्ड विद्युत नियामक आयोग, देहरादून में ''आन्तरिक शिकायत समिति'' का निम्नवत गठन किया जाता हैः–

1. श्रीमती मीनाक्षी भारती, अधिशासी अभियन्ता, क्यू0ए0 / क्यू0सी0, पिटकुल– पीठासीन अधिकारी
2. श्री शिवांकू भट्ट, सहायक निदेशक (विधि), उविनिआ– सदस्य
3. श्रीमती निधि गोयल, निजी सचिव, उविनिआ– सदस्य
4. श्री मोहन कठैत, LIG, 7A, एमडीडीए, कॉलोनी, आईएसबीटी, देहरादून– सदस्य

अधिनियम की धारा–4(3) के कम में उक्त समिति के सदस्यों का कार्यकाल आदेश निर्गत तिथि से 03 वर्ष की अवधि तक रहेगा।

उपरोक्त ''आन्तरिक शिकायत समिति'' लैंगिक उत्पीड़न से सम्बन्धित शिकायतों को ''महिलाओं का कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीड़न (निवारण, प्रतिषेध एवं प्रतितोष) अधिनियम, 2013 के प्राविधानों के तहत स्वीकार कर उनका कियान्वयन एवं निस्तारण करेगी। समिति का यह भी दायित्व होगा कि प्राप्त शिकायत पर तैयार अपनी आख्या संस्तुति सहित जॉच पूरी होने के उपरान्त आयोग को उपलब्ध करायेगी, जिसकी प्रति सम्बन्धित पक्ष को भी देगी। साथ ही समिति कार्य की वार्षिक रिपोर्ट तैयार कर समुचित स्तर पर प्रेषित करेगी।

(नीरज सती)
सचिव

संख्या–01 / प्रशा0 / 197 / उविनिआ / 2022–23 / 780 तद्दिनांक

प्रतिलिपिः–निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. निजी सचिव, मा0 अध्यक्ष / आशुलिपिक, मा0 सदस्य (विधि) / मा0 सदस्य (तकनीकी), उविनिआ को मा0 आयोग के संज्ञानार्थ प्रेषित।
2. समस्त निदेशक, उविनिआ, देहरादून।
3. प्रबन्ध निदेशक, पिटकुल, देहरादून।
4. सम्बन्धित समिति के सदस्य।
5. उप निदेशक (सूचना प्रौद्योगिकी), उविनिआ, देहरादून को वैबसाईट पर अपलोड किये जाने हेतु।
6. आयोग कार्यालय में कार्यरत समस्त महिला कर्मचारी।
7. नोटिस बोर्ड।

(नीरज सती)
सचिव